हिन्दुस्तान हल्द्वानी • सोमवार • 25 जून 2018 • 06

शिविर में लोगों को विधिक ज्ञान के साथ कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

बिलई में लगा बहुउद्देशीय शिविर

जागरूकता

पिथौरागढ़ | हमारे संवाददाता

मुनाकोट विकासखण्ड के बिलई पंचायत घर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बहुउद्देशीय चिकित्सा एवं विधिक जागरूकता शिविर लगाया। • हिन्दुस्तान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मुनाकोट विकासखण्ड के बिलई में पंचायत घर में बहुउद्देशीय चिकित्सा एवं विधिक जागरूकता शिविर लगाया।

रविवार को आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ताओं ने लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, सूचना का अधिकार 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पोक्सो कानून, भूमि आवंटन के संबंध में बताया गया।

104 लोगों का उपचार

चिकित्सक नरेंद्र शर्मा और डॉ. अंजू ने 104 रोगियों का निशुल्क उपचार कर उनको दवा बांटी। औरडॉ. पीसी पंत ने 72 व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार किया।

लोगों के बनाए प्रमाण पत्र

राजस्व विभाग ने 01 स्थायी प्रमाण पत्र, 02 आय प्रमाण पत्र ; 01 जाति प्रमाण पत्र जारी बनाया । ग्राम्य विकास विभाग ने बीपीएल क्रमांक के लिए 06 और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए 15 प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की गई।

ये रहे शामिल

सिविल जज सिनियर डिविजन मनोज कुमार द्विवेदी, तहसीलदार राधेश्याम राणा, बीडीओ कवीन्द्र रावत, डीजीसी पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ,प्रमोद पंत, ज्योत्सना जोशी, लक्ष्मी भट्ट, रेनु ठाकुर, पीएलवी महेश चन्द्र जोशी, हीरा सिंह, प्रधान कुन्दन सिंह, अशोक भट्ट, प्रदीप पाठक सहित कई लोग मौजूद रहे।

अमर उजाला नैनीताल | सोमवार, 25 जून 2018 5

बिलाई गांव के लोगों को दी कानून की जानकारी

[illegible]

'Re

No.